संख्या- 45 /2020/639/18-2-2020-23(ल0उ0)/2020

प्रेषक

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

3- जिलाधिकारी, अयोध्या।

4- शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2020

विषयः-सीपेट सेण्टर की स्थापना हेतु जनपद अयोध्या के ग्राम-गंजा, परगना-हवेली अवध में स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की कुल 50 किता क्षेत्रफल 4.061 हे0 (10.030 एकड़) चयनित भूमि को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार प्रदान किये जाने हेतु उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु जनपद लखनऊ एवं वाराणसी में सीपेट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर स्थापित हैं।

2- लखनऊ एवं वाराणसी की भांति जनपद अयोध्या में भी सीपेट का सेण्टर स्थापित किये जाने हेतु सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-45012/51/2020-PC-IV दिनांक 05.06.2020 द्वारा राज्य सरकार से भूमि की व्यवस्था एवं वित्तीय संसाधन जुटाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा सीपेट सेण्टर की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिये अयोध्या में ग्राम-गंजा, परगना हवेली अवध में स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की कुल 50 किता क्षेत्रफल 4.061 हे0 (10.030एकड़) भूमि का चयन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नाम दर्ज उक्त चयनित भूमि पर सीपेट की स्थापना हेतु इसे निःशुल्क दिये जाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के पत्रांक-842/पन्द्रह-1-2020 दिनांक 02.09.2020 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त सीपेट सेण्टर की स्थापना हेतु जनपद अयोध्या के ग्राम-गंजा, परगना-हवेली अवध में स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की कुल 50 किता क्षेत्रफल 4.061 हे0 (10.030 एकड़) चयनित भूमि को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्णय के अनुपालन के दृष्टिगत प्रश्नगत भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराकर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-45/2020/639(1)/18-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या।

3- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, अयोध्या।

4- सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5- प्रधान निदेशक, इन्सटीट्यूट आफ प्लास्टिक्स टेक्नालाजी, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ ।

6- गोपन अनुभाग-1/वित्त ई-6 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।